न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा चालान को उपशमित किये जाने व उपशमित आदेश को ई–चालान पोर्टल पर डिलीट करने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गई हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मामला मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित हैं। जो वर्ष 2021 के पूर्व से न्यायालय में लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनांकित 22 मार्च, 2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराध का शमन और विचारण का उपशमन) संशोधित अध्यादेश 2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराध का शमन और विचारण का उपशमन) संशोधित अधिनियम 1979 की धारा 9 में अंकित तिथि 31, दिसम्बर 2016 के स्थान पर 31, दिसम्बर 2021 प्रतिस्थापित कर दी गयी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि अपराध का शमन और संशोधन अधिनियम 1979 की धारा 9 में उल्लिखित केस जो 31, दिसम्बर 2021 से पूर्व के हैं, उन्हें उपशमित किये जाने हेतु अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्गत की जा चुकी हैं। उक्त अधिसूचना व संशोधन अध्यादेश 2023 को दृष्टिगत रखते हुए इस वाद जो कि मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित हैं, की कार्यवाही उपशमित किये जाने के आधार हैं।

आदेश

वादों की कार्यवाही उपशमित की जाती हैं।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।